दिनांक.......2.1.1.1.2.3....को पेश हो।

3/7/23 पत्रावली वकील प्रार्थीपक्ष के मुताबिक से निस्तारण हेतु आवेदन पर पेश हुई। हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित मुतनाजा भूमि है इसका के इसलिए आवेदक पर स्थगन का कोई औचित्य नहीं है अतः आवेदक पर स्थगन को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से प्राप्त होकर दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़